# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2017 – निगरानी

1. श्री किशनलाल पिता भोजा गुर्जर निवासी फतेहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती कंवरी पत्नी भोजा गुर्जर निवासी फतेहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. श्री खेमराज पिता हुक्ता गुर्जर निवासी फतेहपुरा तहसील रायपुर
2. ग्राम पंचायत नाहरी जरिये सरंपच/सचिव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत नाहरी पत्रावली सं. 08 संवत् 2056 दिनांक 16.12.1999**

**उपस्थित –**

1. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री पी.एस. चुण्डावत अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 16.05.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान् के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नाहरी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 160 में विहित प्रावधानों एवं औपचारिकताओं का पालन नही कर पत्रावली कमांक 8 संवत् 2056 से विपक्षी सं. 01 खेमराज गुर्जर को 30 बाई 45 वर्गफीट भूखण्ड का पटटा जारी करने में विधिक त्रुटि की है जिससे तथाकथित पटटा अवैध होने से निरस्तनीय है। ग्राम फतेहपुरा तहसील रायपुर में मुख्य सडक ग्राम फतेहपुरा से रायपुर आने वाली पूर्वी ओर एक भूखण्ड स्थित है । इस भूखण्ड की नपती 62 बाई 90 फीट कुल 5400 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड निगराकारान् के दादा दल्ला जी गुर्जर के समय का होकर पुश्तैनी भूखण्ड है। उक्त वादग्रस्त भूखण्ड में गैर निगराकार का 1/4 हक हिस्सा निहित है। दल्ला जी के अन्य वारिसान निगराकारान को उक्त वादग्रस्त जायदाद में से उनके हक हिस्से से महरूम करना चाहते है। इसी वजह से निगराकारान ने उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के विभाजन हेतु एक वादपत्र वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गंगापुर में प्रस्तुत कर रखा है। विपक्षी सं. 02 ने वास्तविक तथ्यों की जांच पड़ताल किये बिना एवं विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना उक्त तथाकथित पटटा विपक्षी सं. 01 के हक में जारी कर दिया, जबकि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड निगराकारान् की पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा है एवं निगराकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना विधिवत् विभाजन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

कराये उक्त पटटा जारी कर दिया जो अवैध है। ग्राम पंचायत को निजी जमीन का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 01 के नाम पर जारी उक्त तथाकथित पटटे को निरस्त कराया जाये।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत नाहरी से पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 10 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत नाहरी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 160 में विहित प्रावधानों एवं औपचारिकताओं का पालन नही कर पत्रावली क्रमांक 8 संवत् 2056 से विपक्षी सं. 01 खेमराज गुर्जर को 30 बाई 45 वर्गफीट भूखण्ड का पटटा जारी करने में विधिक त्रुटि की है जिससे तथाकथित पटटा अवैध होने से निरस्तनीय है। उक्त भूखण्ड निगराकारान् के दादा दल्ला जी गुर्जर के समय का होकर पुश्तैनी भूखण्ड है। उक्त वादग्रस्त भूखण्ड में गैर निगराकार का 1/4 हक हिस्सा निहित है। दल्ला जी के अन्य वारिसान निगराकारान को उक्त वादग्रस्त जायदाद में से उनके हक हिस्से से महरूम करना चाहते है। इसी वजह से निगराकारान ने उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के विभाजन हेतु एक वादपत्र वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गंगापुर में प्रस्तुत कर रखा है। विपक्षी सं. 02 ने वास्तविक तथ्यों की जांच पड़ताल किये बिना एवं विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना उक्त तथाकथित पटटा विपक्षी सं. 01 के हक में जारी कर दिया, जबकि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड निगराकारान् की पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा है एवं निगराकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना विधिवत् विभाजन कराये उक्त पटटा जारी कर दिया जो अवैध है। ग्राम पंचायत को निजी जमीन का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 01 के नाम पर जारी उक्त तथाकथित पटटे को निरस्त कराया जाये।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि ग्राम पंचायत नाहरी द्वारा पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधि अनुसार कार्यवाही कर पटटा जारी किया गया है। विपक्षी सं. 01 भूमिहीन काश्तकार की दयनीय स्थिति को देखकर उक्त पटटा जारी किया गया। उक्त भूखण्ड से निगराकार व अन्य को कोई लेना देना नही है। निगराकार ने उक्त भूखण्ड को पुश्तैनी बताकर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गंगापुर के यहां भी विभाजन बाबत् दावा पेश कर दिया जिसमें गैर निगराकार खेमराज को पक्षकार नही बनाया गया। उक्त निगरानी सन् 1999 के बाद अब पेश की है जिसमें करीब 17 वर्ष का विलम्ब है । इस हेतु निगराकार ने कोई स्पष्ट कारण नही बताये है। गैर निगराकार सं. 01 ने पटटा जारी होने के बाद उक्त भूखण्ड पर पक्का निर्माण करवाया।

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उसके रहने का एकमात्र यही मकान है। यदि इसके बाद भी उक्त पटटा निरस्त किया जाता है तो खेमराज आवास विहीन हो जायेगा। पक्के निर्माण में लगे लाखों रूपयों का कर्जा व ऋण चुकाना शेष है। इन सब तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन, बेबुनियाद होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नाहरी ने दिनांक 16.12.1999 को तीन पंचों से मौका निरीक्षण करवा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार ग्राम फतेहपुरा की आबादी भूमि में 02रू. प्रति वर्गमीटर की दर से राशि जमा कर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 1350 वर्गफीट के भूखण्ड का पटटा जारी करने की स्वीकृति दी गयी। निगराकार ने अपनी निगरानी प्रकरण में अंकित किया है कि प्रश्नगत भूखण्ड जोकि 5400 वर्गफीट का है और पुश्तैनी हैं, जिसमें गैर निगराकार सं. 01 का 1/4 हक हिस्सा निहित है जो 1350 वर्गफीट बनता है। ग्राम पंचायत नाहरी ने गैर निगराकार सं. 01 को 1350 वर्गफीट का ही पटटा नियमानुसार शुल्क जमा कर जारी किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

ग्राम पंचायत नाहरी द्वारा पत्रावली सं. 08 संवत् 2056 से दिनांक 16.12.1999 को गैर निगराकार सं 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार जारी पटटे के संबंध में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत नाहरी तहसील रायपुर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)